

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-८
सं० / 2015 / 146(120) / XXVII(8) / 08
दिनांक:: देहरादून :: २४ सितम्बर, 2015

संशोधन / अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;
अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० १ वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 सप्तित उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (6) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके शासन द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना सं० 714 / 2015 / 146(120) / XXVII(8) / 08 दिनांक 14 सितम्बर, 2015 में प्रयुक्त शब्द "राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से" के स्थान पर शब्द "दिनांक 16-09-2015 से" रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

सं० ४६ / 2015 / 146(120) / XXVII(8) / 08 तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1—आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी / अंग्रेजी प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियों वित्त अनुभाग-८ में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।


3—भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4—सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

5—एन०आई०सी०

6—गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,



(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 846/2015/146(120)/XXVII(8)/08 dated September, 2015 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-9
NO. 846/2015/ 146(120)/XXVII(8)/ 08
Dehradun :: Dated: :28 September, 2015

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 4 of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 read with section 21. of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow the substitution of the words “with effect from 16-09-2015” for the words “with effect from the date of publication in the Gazette” occurring in earlier Notification No. 714/2015/146(120)/XXVII(8)/08 dated 14 September, 2015 issued by the Government.



(Amit Singh Negi)
Secretary.